भर्ती शाखा

प्रश्न 1- रिक्तियों को कैसे विज्ञापित किया जाता हैं?

उत्तर- मंत्रालय/विभाग, संघ लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए अपने प्रस्ताव/मांग भेजते हैं जिसमें रिक्तियों की संख्या, आरक्षण {बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों (पीडब्लूबीडीएस)} के लिए आरक्षण सहित पद के लिए अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यताएं, पद के लिए संबद्ध कार्यों की जानकारी इत्यादि होती हैं। आयोग में विधिवत जांच के पश्चात, रिक्तियों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) आमंत्रित करने के लिए आयोग की वेबसाइट के साथ-साथ सूचनात्मक विज्ञापन एंप्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाता है।

प्रश्न 2- मैं कैसे आवेदन कर सकता हूं?

उत्तर- उम्मीदवार पद के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आयोग की वेबसाइट विशेषकर, इस प्रयोजन के लिए www.upsconline.nic.in है।

प्रश्न 3- एक भर्ती विज्ञापन में उम्मीदवार अलग-अलग कितने पदों के लिए आवेदन कर सकता है?

उत्तर- सामान्यत: एक भर्ती विज्ञापन में कुछ पदों के लिए तथा विशेष मामलों में एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है वह उस पद के लिए निर्धारित ढंग से शुल्क अदा करके प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विज्ञापन में, (i) भंडार अधिकारी (ii) प्रशासनिक अधिकारी तथा (iii) लोक अभियोजक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और उम्मीदवार दो पदों अर्थात भंडार अधिकारी एवं लोक अभियोजक के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग-अलग आवेदन करने होंगे तथा दोनों में से प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा।

प्रश्न 4- मैं किसी पद विशेष के लिए किए गए आवेदन की स्थिति कैसे जान सकता हूं?

उत्तर- उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in को देखना चाहिए, जहां अंतिम रूप से प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन आवेदनों (पद का नाम, रिक्ति संख्या, अनुक्रमांक, आवेदन संख्या और नाम के साथ संबंधित पदों की सूची के अनुरूप विज्ञापन संख्यावार प्रदर्शित की जाती है।

प्रश्न 5- क्या उम्मीदवार अपने आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन कर सकता है?

उत्तर- नहीं, एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम हैं और प्रस्तुत करने के बाद इसमें कोई भी

परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तथापि, यदि किसी उम्मीदवार ने गलत प्रविष्टियों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है, तो वह अंतिम तारीख से पहले सही प्रविष्टियों और नये शुल्क के साथ नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता/सकती है, जो उसके पिछले आवेदन (ओं) के स्थान पर होगा। इसके पश्चात, बाद में प्रस्तुत आवेदन अर्थात् केवल उच्चतर संख्या वाले आवेदन पर ही विचार किया जाएगा और पहले वाले आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्रश्न 6- क्या "अनिवार्य योग्यताओं" के अंतर्गत पहले से ही उल्लिखित किसी योग्यता के संगत होने पर इसका "वांछनीय योग्यताओं" के अंतर्गत पुन: उल्लेख करना होगा?

उत्तर- उम्मीदवार द्वारा प्राप्त संगत वांछनीय योग्यता (ओं) का 'वांछनीय योग्यताओं' के अंतर्गत उल्लेख किया जा सकता है, भले ही इसका 'अनिवार्य योग्यताओं' के अंतर्गत पहले ही उल्लेख किया गया हो या नहीं।

प्रश्न 7- कौन से विश्वविद्यालयों, पाठ्यक्रमों एवं डिग्रियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है?

उत्तर- विश्वविद्यालयों, पाठ्यक्रमों या डिग्रियों की मान्यता संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आती। यह मामला इस प्रयोजन के लिए अधिदेशित संबंधित प्राधिकरणों उदाहरणार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीइ) इत्यादि के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

प्रश्न 8- उम्मीदवारों की अनुशंसा कैसे की जाती है, साक्षात्कार के माध्यम से या भर्ती परीक्षण के बाद साक्षात्कार द्वारा?

उत्तर- आयोग, रिक्तियों की संख्या और प्राप्त आवेदनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर और मामला दर मामला आधार पर निर्णय लेता है कि उम्मीदवार केवल साक्षात्कार या भर्ती परीक्षण के बाद साक्षात्कार के माध्यम से अनुशंसित किया जाएगा। सामान्यत: भर्ती परीक्षण उन मामलों में आयोजित किए जाते हैं जहां आवेदकों की संख्या अधिक है या जिन मामलों में मैनुअल लघुसूचीबद्ध किया जाना व्यावहारिक नहीं है।

प्रश्न 9- किसी पद विशेष के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए उम्मीदवारों को कैसे लघुसूचीबद्ध किया जाता है?

उत्तर- उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध किए जाने के लिए किसी पद विशेष के लिए अपेक्षित निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। तथापि, निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और इसके होने से ही उम्मीदवार लघुसूचीबद्ध किए जाने या साक्षात्कार के लिए बुलाने

के हकदार नहीं हो जाते। यदि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो आयोग साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए विस्तृत विज्ञापन में ("चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त जानकारी" के अंतर्गत नोट-II) उल्लेख की गई पद्धतियों के अनुसार **लघुसूचीबद्ध मापदंड** को अपनाता है ।

प्रश्न 10- भर्ती परीक्षण (आरटी) के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी मुझे कैसे मिल सकती है?

उत्तर- भर्ती संबंधी मामलों में जहां भर्ती परीक्षण आयोजित किया जाना अपेक्षित होता है, के लिए पाठ्यक्रम तथा भर्ती परीक्षण (आरटी) की योजना संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर प्रकाशित की जाती हैं।

प्रश्न 11- साक्षात्कारों से संबंधित जानकारी मुझे कैसे मिलेगी?

उत्तर- ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई आपकी ई-मेल पर बुलावा पत्र भेजा जाएगा। डाक द्वारा साक्षात्कार बुलावा-पत्र भेजने की पद्धति अब बंद कर दी गई है। इसलिए, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, उनको नियमित रूप से अपनी ई-मेल देखने की सलाह दी जाती है। एक सूचनात्मक एसएमएस उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाता है।

प्रश्न 12- साक्षात्कार के समय मुझे कौन से दस्तावेज अपने साथ लाने चाहिए?

उत्तर- उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए गए जाने वाले दस्तावेजों की सूची के बारे में सूचित किया जाता हैं। यह सूची ई-मेल द्वारा भेजे गए आपके साक्षात्कार बुलावा-पत्र के साथ संलग्न होती है।

प्रश्न 13- क्या मैं साक्षात्कार या भर्ती परीक्षण के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप या अन्य संचार उपकरणों को अपने साथ ले जा सकता हूं?

उत्तर- नहीं, साक्षात्कारों या भर्ती परीक्षणों के दौरान ऐसे गैजेट पूर्णत: निषिद्ध हैं।

प्रश्न 14- साक्षात्कार बोर्डों द्वारा उम्मीदवारों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

उत्तर- (क) साक्षात्कार का उद्देश्य उस पद के लिए उम्मीदवार की व्यक्तिगत उपयुक्तता का मूल्यांकन करना है, जिसके लिए उसे साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। इसका उद्देश्य उचित और निष्पक्ष मूल्यांकन द्वारा उम्मीदवार की जांच करना है तथा उसके समग्र प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करना है। (ख) साक्षात्कार केवल ज्ञान (सामान्य या किसी विषय में) का परीक्षण नहीं है बल्कि एक ऐसे सक्षम, समर्पित और ईमानदार अधिकारी के रूप में तैयार करने के लिए व्यक्ति की संभाव्यता का आकलन करने का प्रयास है, जिसे लोक सेवा से जुड़े कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे जा सकें। (ग)

उम्मीदवारों को उनके समग्र रिकॉर्ड (शैक्षिक योग्यताएं, ज्ञान, अनुभव, रुचि, गतिविधियों इत्यादि) तथा साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के मतैक्य द्वारा साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तथापि, अंक मतैक्य द्वारा समग्र आधार पर दिए जाते हैं, न कि अलग से व्यक्तिगत गुण के आधार पर।

प्रश्न 15- साक्षात्कार बोर्ड की संरचना क्या है?

उत्तर- साक्षात्कार बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता के लिए सामान्यत: **<u>दो या</u>** तीन ऐसे सलाहकार होते हैं, जो अपने संबंधित क्षेत्रों/विषयों के विशेषज्ञ होते हैं।

प्रश्न 16- क्या मैं साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों से संबंधित विवरण जैसे पदनाम, शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी ले सकता हूं?

उत्तर- नहीं, इन विवरणों को बीपीएससी बनाम सैयद हुसैन अब्बास रिजवी एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 9052/2012 [2011 की एसएलपी (के.) सं 20217 से उत्पन्न] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रकट नहीं किया जाता है।

प्रश्न 17- साक्षात्कार में न्यूनतम उपयुक्तता अंक क्या है?

उत्तर- उम्मीदवारों को साक्षात्कार में 100 में से अंक दिए जाते हैं। उपयुक्तता के न्यूनतम मानक, श्रेणीवार नीचे दिए गए हैं।

श्रेणी	उपयुक्तता के मानक
सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	50
अ.पि.व.	45
अ.जा., अ.ज.जा. एवं पीडब्ल्यूबीडी	40

प्रश्न 18- क्या अध्यक्ष और सलाहकार उम्मीदवारों को अलग-अलग अंक देते हैं?

उत्तर- नहीं, अंक आम सहमति से दिए जाते हैं।

प्रश्न 19- क्या किसी आरक्षित श्रेणी अर्थात् आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार की अनारक्षित रिक्ति के लिए चयन हेतु अनुशंसा की जा सकती है?

उत्तर- आरक्षित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के उम्मीदवार की अनारक्षित रिक्ति के लिए अनुशंसा की जा सकती है, यदि वह अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अपनाए गए मानदंड को पूरा करता है

तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू किसी भी छूट का लाभ नहीं लेता है।

प्रश्न 20- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाती है?

उत्तर- संघ लोक सेवा आयोग योग्यता क्रम में चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा करता है। अनुशंसित उम्मीदवारों की उनके संबंधित संवर्ग/ग्रेड में वरिष्ठता का निर्धारण संबंधित मंत्रालय/विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा उनके द्वारा ही निर्धारण किया जाता है।

प्रश्न 21- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के <u>दस्तावेजों</u>, चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कौन करता है?

उत्तर- हालांकि, संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत समर्थक दस्तावेजों का मिलान और जांच मूल दस्तावेजों से करता है, परंतु इसकी सत्यता की जांच नहीं की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता एवं चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण जिम्मेदार हैं।

प्रश्न 22- किसी विशेष भर्ती मामले में आरक्षित सूची कैसे तैयार की जाती है?

उत्तर- आरक्षित सूची में रखे जाने वाले नामों की अधिकतम संख्या प्रत्येक श्रेणी में पदों/ रिक्तियों की कुल संख्या का 50% होती है, जिसके लिए भर्ती की जा रही है, शर्त यह है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम ऐसे 05 (पांच) नाम हो जिनके लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम कट-ऑफ मार्क को पूरा करने वाले उम्मीदवार उपलब्ध हैं। अर्थात् सामान्य एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 50 अंक, अ.पि.व. के लिए 45 अंक तथा अ.ज./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 अंक योग्यता क्रम में रखे जाते हैं। यदि किसी भी श्रेणी में पदों/रिक्तियों की कुल संख्या का 50% कोटा कम होता है तो उसे अगली उच्च संख्या के बराबर माना जाएगा।

प्रश्न 23- आरक्षित सूची कब और कैसे संचालित होती हैं?

उत्तर- आरक्षित सूची का संचालन मांगकर्ता मंत्रालय/विभाग से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है। आरक्षित सूची की वैधता आईबीआर को अंतिम रूप देने की तारीख से 02 वर्ष है। (दिनांक 01.03.2018 से पूर्व आरक्षित सूची की वैधता 18 माह थी, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 24 माह तक बढ़ाया जा सकता था।) अमान्य होने वाली सूची की तारीख को अनुशंसा-पत्र में दर्शाया जाता है। उसी ग्रेड में उत्तरवर्ती रिक्तियों/पदों को भरने के लिए चयन को अंतिम रूप देने पर आरक्षित सूची रद्द हो जाती है।

प्रश्न 24- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित किए जाने के बाद मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर- आप नियुक्ति आदि में नियुक्ति पूर्व की औपचारिकताओं / समय लेने जैसे किसी भी प्रश्न के समाधान के लिए मांगकर्ता मंत्रालय/विभाग से संपर्क कर सकते हैं।